प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 11.09.2025**

❖ **फोरेंसिक/सर्विलांस/स्वॉट टीम के सहयोग से थाना मूसानगर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का 60 घण्टे के अन्दर किया गया सफल अनावरण।**

❖ **हत्या की घटना कारित करने वाले 01 नफर अभियुक्त को मृतक के 23000/-रुपये के साथ किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 08.09.2025 को वादी श्री शिवनाथ उम्र 65 वर्ष पुत्र ऊदन निवासी ग्राम खिरियनपुरवा थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात द्वारा अपने पुत्र रामशरन उम्र करीब 35 वर्ष दिनांक 07.09.2025 को समय लगभग 07.00 बजे रात्रि में रुपये लेने के लिए ग्राम शेरपुर (गुढ़ा) थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात जाने एवं दिनांक 08.09.2025 को समय 06.30 बजे उसका पुत्र रामशरन मृत अवस्था में हलकेश पुत्र रमेश निवासी खिरियनपुरवा की दुकान के सामने पड़ा होने की सूचना मिलने एवं मृतक के शरीर पर चोट के निशान को देखते हुए वादी के पुत्र की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर थाना मूसानगर पर मु0अ0सं0 064/2025 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना के त्वरित खुलासे हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में एवं क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर के नेतृत्व में सर्विलांस/स्वॉट टीम एवं थाना मूसानगर पुलिस की 03 संयुक्त टीमें गठित की गयी थी। गठित टीमों द्वारा एकत्र किये गये साक्ष्यों के क्रम में एवं अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहने गये पैंट पर वैज्ञानिक अधिकारी/फील्ड यूनिट द्वारा किये परिक्षण में पैंट पर पाये गये मानव रक्त की पुष्टि होने पर घटना का 60 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्त राजा सिंह उर्फ जयवीर सिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र श्री शिवनाथ यादव निवासी ग्राम खिरियनपुरवा थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात को दिनांक 10.09.2025 मृतक के 23000/-रुपये के साथ अभियुक्त के घर से समय करीब 17.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजा सिंह उर्फ जयवीर सिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र श्री शिवनाथ यादव निवासी ग्राम खिरियनपुरवा, थाना मूसानगर, जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसने बताया कि रामशरण ने संदीप से 23000/-हजार रुपये उधार लिये थे। रुपयो के लालच में व शराब के नशे में झगड़ा हो जाने पर मैंने रामशरण को ईंट से सर पर वार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के दौरान मेरी पैन्ट पर खून के छींटे आ गये थे तथा मैंने रामशरण की जेब से 23,000/-रुपये निकाल लिये थे, फिर मैने चुपचाप अपने घर आकर अपने कपड़े बदल लिये थे तथा रुपये अपने घर के अन्दर छिपा कर रख दिये थे और चुपचाप सो गया था।

बरामदगी- मृतक के 23000/-रुपये,

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 119/2019 धारा 379/411 भादवि0 थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 255/2019 धारा 379/506 भादवि0 थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 42/2020 धारा 3/5 गुण्डा अधिनियम थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0 46/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात।
5. मु0अ0सं0 64/2025 धारा 64/2025 बीएनएस0 थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मूसानगर पुलिस, सर्विलांस टीम एवं स्वॉट टीम